भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 630
उत्तर देने की तारीख 24 जुलाई, 2025
2 श्रावण, 1947 (शक)

खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी और सहायता योजनाएं

630# श्री मिथलेश कुमार:
श्री केसरीदेवसिंह झाला:
डा. सुधांशु त्रिवेदी:
श्री मयंककुमार नायकः
डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:
डा. दिनेश शर्मा:
श्री सुभाष बराला:
श्री नरहरी अमीन:
श्री रायगा कृष्णैयाः
श्री घनश्याम तिवाड़ी:
श्री मदन राठौड़:
श्री बाबू राम निषादः
श्री बृज लाल:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खिलाड़ियों की वित्तीय सुरक्षा, प्रशिक्षण अवसंरचना और मानसिक स्वास्थ्य सहायता को सुदृढ़ करने हेतु कोई पहल की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खिलाड़ियों को समय पर वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख) जी, हाँ। खेल राज्य का विषय होने के कारण खेल अवसंरचना और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रयासों में

सहयोग करती है। इसके अलावा, सरकार ने खिलाड़ियों और कोच/प्रशिक्षकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनका उद्देश्य इस मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी वित्तीय सुरक्षा, प्रशिक्षण अवसंरचना और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता को सुदृढ़ करना है, जैसेकि:

- टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस): चयनित खिलाड़ियों को मासिक आउट-ऑफ-पॉकेट भत्ता (ओपीए), अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण, कोचिंग, फिजियोथेरेपी, मानसिक कंडीशनिंग और उपकरण तक पहुंच सहित व्यापक सहायता प्रदान की जाती है।
- खेलो इंडिया स्कीम: यह प्रतिभा की पहचान, अवसंरचना विकास, एथलीटों के लिए छात्रवृत्ति और जमीनी स्तर तथा उच्च स्तर दोनों पर कोचिंग सहायता पर केंद्रित है।
- राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एएनएसएफ) को सहायता: इसके तहत एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें उनकी तैयारी के लिए पौष्टिक आहार, खाद्य पूरक, उपकरण सहायता, अत्याधुनिक अवसंरचना, आवास, यात्रा सुविधाएं, प्रतिष्ठित कोच/सहायक कर्मचारियों की सेवाएं, वैज्ञानिक और चिकित्सा सहायता, खेल किट आदि सहित सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना शामिल हैं। इसके अलावा, विदेशों में उनके प्रशिक्षण और भारत तथा विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।
- मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन के लिए खेल निधि योजना, सक्रिय खेल करियर से संन्यास लेने के बाद खिलाड़ियों को ₹12,000/- से ₹20,000/- प्रति माह तक की आजीवन पेंशन के रूप में अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। सक्रिय खेल करियर से संन्यास लेने वाले और ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, पैरा एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ी इस योजना के तहत आजीवन पेंशन के पात्र हैं।
- खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम: खिलाड़ियों और उनके परिवारों को चोट, कठिनाई, उपकरण और प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

खिलाड़ियों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय टीम और व्यक्तिगत दोनों स्तर पर खेल मनोवैज्ञानिक और मानसिक प्रशिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। साई के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (एनसीओई) में उच्च-प्रदर्शन विश्लेषक (मनोविज्ञान) या प्रदर्शन विश्लेषक (मनोविज्ञान) सहित एक खेल मनोवैज्ञानिक की मौजूदगी सुनिश्चित की जाती है। ये खेल मनोवैज्ञानिक खिलाड़ियों को सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए मानसिक प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें भावनात्मक रूप से सक्षम बनाने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं।

इसके अलावा, सरकार ने हाल ही में खेलो इंडिया नीति-2025 की घोषणा की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ खिलाड़ियों और कोच/प्रशिक्षकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के प्रावधान भी हैं।

(ग) सरकार ने विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत खिलाड़ियों/कोचों को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन राशि का समय पर और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें से प्रमुख उपाय हैं, वितरण के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) व्यवस्था का कार्यान्वयन और आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने हेतु ऑनलाइन पोर्टल, जिससे लाभार्थियों को वित्तीय सहायता/प्रोत्साहन राशि का समय पर और कुशल वितरण सुनिश्चित होता है। इस प्रणाली के अंतर्गत, वित्तीय सहायता/समर्थन सीधे खिलाड़ियों/कोचों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है जिससे विलंब नहीं होता है, प्रशासनिक अड़चनें कम आती हैं और यह सुनिश्चित होता है कि लाभ समय पर और कुशल तरीके से इच्छित लाभार्थियों तक पहुँचें।
